न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

सीएनआर नं0–यूकेसीएल020004312022

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–109/2022

उत्तराखण्ड राज्य जरिये करन सिंह

बनाम

अज्ञात।

दिनांक : 25.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं है।

मेरे द्वारा अन्तिम रिपोर्ट एंव केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक ने अन्तिम रिपोर्ट संख्या– निल/2022 दिनांकित 04.07.2022 प्रस्तुत की है। अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त वादी मुकदमा करन सिंह को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस प्रपत्र संख्या 6क के रूप में प्रस्तुत है। वादी मुकदमा करन सिंह को नोटिस तामीली के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। वादी मुकदमा के उक्त आचरण से इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा प्रस्तुत मामले में कोई आपत्ति नहीं करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–निल/2022 दिनांकित 04.07.2022 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।